



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092026-276152
CG-DL-E-12092026-276152

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4801]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/भाद्र 17, 1948

No. 4801]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2026

का.आ. 4991(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे आगे 'उक्त एक्ट' कहा गया है) की धारा 3A की उप-धारा (1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक मकसद के लिए—आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा ज़िले में NH-163G के Km. 281.305 से Km. 308.22 (NTR, ज़िला) तक के हिस्से में सड़क बनाने (चौड़ा करने/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन/चार लेन बनाने आदि), रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए—उस ज़मीन की ज़रूरत है जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दी गई अनुसूची में दिया गया है, ऐसी ज़मीन का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जॉइंट कलेक्टर, एनटीआर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि

कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा ज़िले में NH-163G के तहत आने वाली ज़मीन (जिस पर कोई ढांचा हो भी सकता है और नहीं भी) का संक्षिप्त विवरण, जो Km. 281.305 से Km. 308.22 (NTR ज़िला) तक फैली है।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			ज़िले का नाम: कृष्णा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: ग . कोंडूरु					
गांव का नाम: चेरुवु माधवरम					
1	14-4B3	सामान्य	कृषि (आवंटित भूमि, सूखी)	728.45 (वर्ग मीटर)	0.072845
2	16-2B1	सामान्य	कृषि (आवंटित भूमि, सूखी)	445.15 (वर्ग मीटर)	0.044515
3	16-2B2	सामान्य	ऐग्रिकल्चर (आवंटित भूमि)	364.26 (वर्ग मीटर)	0.036426
4	16-2B3	सामान्य	ऐग्रिकल्चर (आवंटित भूमि, सूखी)	445.16 (वर्ग मीटर)	0.044516
5	16-2B5	सामान्य	ऐग्रिकल्चर (आवंटित भूमि, सूखी)	1173.63 (वर्ग मीटर)	0.117363
6	16-2B6	सामान्य	ऐग्रिकल्चर (आवंटित भूमि, सूखी)	404.69 (वर्ग मीटर)	0.040469
7	16-2B7	सामान्य	ऐग्रिकल्चर (आवंटित भूमि, सूखी)	162 (वर्ग मीटर)	0.0162
8	22-2	सामान्य	ऐग्रिकल्चर (आवंटित भूमि, सूखी)	810 (वर्ग मीटर)	0.081
गांव का नाम: कोंडूरु					
9	254-1A	सामान्य	ऐग्रिकल्चर (आवंटित भूमि, सूखी)	129.5 (वर्ग मीटर)	0.01295
10	254-1C	सामान्य	ऐग्रिकल्चर (आवंटित भूमि, सूखी)	24.28 (वर्ग मीटर)	0.002428
11	268-1	सामान्य	ऐग्रिकल्चर (आवंटित भूमि, सूखी)	930.77 (वर्ग मीटर)	0.093077
Total					0.561789

[फा. सं. NHAI/PIU-KMM/K-V/DPR/LA/3a/2019/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th September, 2026

S.O. 4991(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-163G in the stretch of land from Km. 281.305 to Km. 308.22 (NTR, District) in the district of KRISHNA in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Joint Collector , NTR in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-163G in the stretch of land from Km. 281.305 to Km. 308.22 (NTR, District) in the district of KRISHNA in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: KRISHNA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: G . Konduru					
Village: Cheruvu Madhavaram					
1	14-4B3	Common	Agriculture (Assigned Land, Dry)	728.45 (Square Meter)	0.072845
2	16-2B1	Common	Agriculture (Assigned Land, Dry)	445.15 (Square Meter)	0.044515
3	16-2B2	Common	Agriculture (Assigned Land)	364.26 (Square Meter)	0.036426
4	16-2B3	Common	Agriculture (Assigned Land, Dry)	445.16 (Square Meter)	0.044516
5	16-2B5	Common	Agriculture (Assigned Land, Dry)	1173.63 (Square Meter)	0.117363
6	16-2B6	Common	Agriculture (Assigned Land, Dry)	404.69 (Square Meter)	0.040469
7	16-2B7	Common	Agriculture (Assigned Land, Dry)	162 (Square Meter)	0.0162
8	22-2	Common	Agriculture (Assigned Land, Dry)	810 (Square Meter)	0.081
Village: Konduru					
9	254-1A	Common	Agriculture (Assigned Land, Dry)	129.5 (Square Meter)	0.01295
10	254-1C	Common	Agriculture (Assigned Land, Dry)	24.28 (Square Meter)	0.002428
11	268-1	Common	Agriculture (Assigned Land, Dry)	930.77 (Square Meter)	0.093077
Total					0.561789

[F. No. NHAI/PIU-KMM/K-V/DPR/LA/3a/2019/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director